457

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 462/xxvii(7)32(3)/2009
देहरादून, दिनांकः 06 जून, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के अध्याय–4 में सेवाओं की अधिप्राप्ति विषयक नियम–58 में राज्य के 02 संयुक्त उपक्रमों के लिए शिथिलीकरण।

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 204/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी (यूडेक) तथा उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिलेड (यू0आई0पी0सी0) से परामर्शी सेवायें प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के आध्याय–4 में सेवाओं की अधिप्राप्ति के नियम–58 में प्रोक्योरमेंट नियमावली के नियम–72(4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में शिथिलीकरण करते हुए एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी के चयन हेतु रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक की सीमा को बढ़ाकर रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यालय ज्ञाप–303/XXVII(7)/2009 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 द्वारा उक्त दो संयुक्त उपक्रमों के लिए उक्त शिथिलीकरण दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः 922/XXVII(7)/2011 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा उक्त शिथिलीकरण दिनांक 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए प्रभावी किया गया था।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दो संयुक्त उपक्रमों– उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट (यूडेक) तथा उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिलेड (यू0आई0पी0सी0) के लिए उक्त शिथिलीकरण की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2014 तक के लिए विस्तारित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त संयुक्त उपक्रमों से ली जाने वाली कन्सलटेन्सी की कास्ट की युक्तियुक्तता (Reasonableness) सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का होगा।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्याः 462/xxvii(7)32(3)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी (यूडेक)।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिलेड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एल0एस0 वन्त)
अपर सचिव।